न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
24 / 2021	15.02.2021	11.12.2021

उनवान

1. नन्दराम पुत्र छोटेलाल जाति चमार निवासी मानका तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

–: प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

–: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

वकील प्रार्थी :– श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव

–: निर्णय :–

दिनांक :– 11.12.2021

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.12.2021 को पेश हुई। प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के जरियें आराजी खसरा नम्बर 1201 / 369 वाके ग्राम शीलगांव तहसील मुण्डावर जिला अलवर में अपने पिता का नाम वुजन की बजाय छोटेलाल दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029, जमाबन्दी, सरपंच ग्राम पंचायत मानका का पत्र, राशन कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, बोर्ड अंक–तालिका पहचान पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, स्वयं का हल्फनामा पेश किये गये। पत्रावली शामिल है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर होकर [illegible] अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने अपना लिखित जबाव प्रस्तुत किया। पैरोकार स[illegible] ने अपने जबाब मे कहा की प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र को स्वयं सिद्ध करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:13:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उभयपक्ष की बहस सुनी गई, दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्रों के जिम्मनों को दौहराते हुए आराजी खसरा नम्बर 1201/369 वाके ग्राम शीलगांव तहसील मुण्डावर जिला अलवर में प्रार्थी के पिता का नाम वुजन के बजाय छोटेलाल दर्ज किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात के गहनता से अध्ययन करने पर पाया कि प्रार्थी के पिता का नाम समस्त दस्तावेजात में वुजन न होकर छौटेलाल दर्ज है। परन्तु राजस्व रिकोर्ड में गाव में बुलाने वाला वुजन दर्ज है। उक्त दस्तावेजात के आधार पर यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में स्वीकार किया जाता है एवं हाल आ0ख0नं0 2101/369 वाके ग्राम शीलगांव तहसील मुण्डावर जिला अलवर में अंकित प्रार्थी के पिता के नाम वुजन को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर छोटेलाल दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार हाल राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डाबर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:13:55 IST
Reason: SelfAttested

07-01-2022 वकील प्रार्थी के प्रार्थना [illegible] बहस की गई। वकील प्रार्थी को सुना गया। [illegible] अंकित ख०नं० 2101/369 गलत लिखा गया है जिसे शुद्ध कर 1201/369 पढ़ा जावे। तदनुसार पालनार्थ अहकाम बनाम तहसीलदार जारी हो। सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डाबर (अलवर) राज०